

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 738/14-1

रामपुर,

दिनांक : 24 अगस्त 2018

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर की तहसील स्वार के ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर की गाटा/खसरा सं० 267, 270 पर टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी० 65 चैनेज 64.463 की बांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.086018 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 यूकेलिप्टिस वृक्षों की पातन अनुमति देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/34871/2018 dated

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद रामपुर की तहसील स्वार के ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर की गाटा/खसरा सं० 267, 270 पर टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी० 65 चैनेज 64.463 की बांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.086018 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 यूकेलिप्टिस वृक्षों की पातन अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत 0.086018 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 यूकेलिप्टिस वृक्षों की पातन अनुमति के सम्बन्ध में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक

उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्वार।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।